

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति
बिहार, पटना
कार्यालय आदेश

संचिका संख्या-म०भो०/को०-ES-89/2023 - 1190

दिनांक : 29-5-2023

बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, बिहार पटना में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाता है, जिसकी संरचना निम्न प्रकार है :-


क्र.	आंतरिक समिति के सदस्यों का नाम	आंतरिक समिति के सदस्यों का पदनाम नाम	मोबाईल नं.
1	2	3	4
1	श्रीमती संगीता गिरि, ए. पी. सी., पी. एम. पोषण योजना, बिहार, पटना।	अध्यक्ष	9264428910
2	मो. मुजतबा, ए. पी. सी., पी. एम. पोषण योजना, बिहार, पटना।	सदस्य	9264428909
4	श्री अखिलेश कुमार रंजन, ए. पी. सी., पी. एम. पोषण योजना, बिहार, पटना।	सदस्य	9264428906
4	श्रीमती प्रगति, पोषाहार विशेषज्ञ, पी. एम. पोषण योजना, बिहार, पटना।	सदस्य	9264428907

उक्त समिति को आदेश दिया जाता है कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत निहित प्रावधान अन्तर्गत अपने दायित्वों का निर्वहन करना सुनिश्चित करेंगे।


(सतीश चन्द्र झा)
निदेशक
पी. एम. पोषण योजना
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 1190 / पटना, दिनांक- 29-5-2023

प्रतिलिपि : समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


(सतीश चन्द्र झा)
निदेशक
पी. एम. पोषण योजना
बिहार, पटना।